

				<p>some other</p> <p>Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>
--	--	--	--	---

If departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/04/2017-CGHS-I]

RAJENDER SINGH SIDHU, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त जून, 2024

सा.का.नि. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद में उप निदेशक, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद, समूह 'क' एवं 'ख' भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.-**वह व्यक्ति, -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उप निदेशक।	1 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800- 209200 ₹.)।

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति द्वारा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा।	

(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री; और

(ii) औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

टिप्पण 1 : विभागीय ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु.) , ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव के साथ बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी।	1 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700- 208700 रु.)।

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति।

(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500रु.) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री; और
वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500रु.) ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव के साथ बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12	13
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. वैज्ञानिक अधिकारी।	1 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100- 177500 रु.)।

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 ग्रेड में चार वर्ष नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों</p>

सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा प्रदान की हो; या

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री; और

अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

टिप्पण 1 : प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12	13
<p>समूह "क", विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष;</p> <p>2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य ;</p> <p>3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य;</p> <p>4. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य।</p> <p>समूह "क", विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ;</p> <p>2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य;</p> <p>3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य।</p>	<p>प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

4. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ।	2 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600- 151100रू.) ।
-------------------------------	--	--	---

(5)	(6)	(7)
चयन ।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती) नोट: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400रू.) ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -</p>

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1: प्रोपक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12	13
<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य । <p>समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य । 	<p>सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक।	2 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)।

(5)	(6)	(7)
चयन।	<p>तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।</p>	<p>आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री।</p> <p>अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।</p>

	<p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।</p>	<p>(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और</p> <p>(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित उच्च पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारी से संबंधित सुसंगत विषय या कार्य क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और</p> <p>(ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक सवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्या।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्या।	

(1)	(2)	(3)	(4)
6. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक।	2 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400₹.)।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया

अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात छ: वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो।
---	---

(11)	12	13
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/03/2020-डीआरएस]

बिकाश आर. महातो, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2024

G.S.R. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director, Senior Scientific Officer, Scientific Officer, Junior Scientific Officer, Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant in the Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad, in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad, Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** -These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**-The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be

provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Deputy Director.	1(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By deputation (including short term contract)/promotion.	Deputation (including short term contract)/promotion: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or recognised university or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- Essential: (i) Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or institute; and (ii) ten years' experience in drugs testing and

		<p>standardisation and research.</p> <p>Desirable: Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute.</p> <p>Note 1: The departmental Senior Scientific Officer in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years regular service in the grade having the educational qualification and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Senior Scientific Officer.	1(2024) *Subject to variationDependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.

(5)	(6)
Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Deputation (including short term contract)/promotion.	<p>Deputation (including short - term contract)/ promotion:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or recognised research Institution:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>Essential: Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or institute.</p> <p>Desirable : Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or institute.</p> <p>Experience: Eight years' experience in drugs testing and standardisation and research.</p> <p>Note 1: The departmental Scientific Officer in level - 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade having the educational qualification and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Scientific Officer.	1(2024) variation workload. *Subject to Dependent on	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.

(5)	(6)
Selection.	Not applicable

(7)	(8)
Not applicable	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Two years for promotions.	By promotion, failing which by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>Junior Scientific Officer in level - 8 in the pay matrix with four years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the relevant areas as prescribed by the competent authority.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations,-</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p>(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level - 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience, as under:-</p> <p>Essential:</p> <p>Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or</p>

		<p>Biotechnology of a recognised university or recognised institute.</p> <p>Experience: Eight years' experience in drugs testing and standardisation and research.</p> <p>Desirable: Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member, Union Public Service Commission - Chairperson; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Member; 3. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi - Member; 4. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India) - Member. <p>Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi - Member; 3. Drugs Controller or Joint Drugs Controller - Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Junior Scientific Officer.	2(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs.47600- 151100). in the pay matrix.

(5)	(6)
Selection.	<p>Not exceeding thirty years of age (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.</p>

(7)	(8)
<p>Essential qualifications:</p> <p>Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute</p> <p>Experience: Four years' experience in drugs testing and standardisation and research.</p> <p>Desirable</p> <p>Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No

(9)	(10)	(11)
<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>(i) By fifty per cent by direct recruitment; and</p> <p>(ii) Fifty per cent. by promotion, failing which by deputation.</p>	<p>Promotion:</p> <p>Senior Scientific Assistant in level -7 in the pay matrix (44900-142400) with two years' regular service in the grade and having successfully completed two weeks mandatory training as prescribed by the Department.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p>Deputation:</p>

		<p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations,-</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age - limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India) -Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller -Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Senior Scientific Assistant.	2(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.

(5)	(6)
Selection.	Not exceeding thirty years of age (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)
<p>Essential qualifications:</p> <p>Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised University or recognised institute</p> <p>Experience:</p> <p>Two years experience in drugs testing and standardisation and research.</p> <p>Desirable: Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Committee or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>(i) Fifty per cent by direct recruitment; and</p> <p>(ii) Fifty per cent. by promotion failing which by deputation.</p>	<p>Promotion:</p> <p>Junior Scientific Assistant in level 6 in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in subject or area of work relevant to duties and responsibility of the higher post as prescribed by the competent authority from time to time.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next</p>

		<p>higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations,-</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level - 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller or Joint Drugs Controller -Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller or Joint Drugs Controller (India) -Member. 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
6. Junior Scientific Assistant.	2(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.

(5)	(6)
Not applicable.	<p>Not exceeding thirty years of age (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>

(7)	(8)
<p>Essential qualifications: Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or institute.</p> <p>Experience: One year experience in drugs testing and standardisation and research.</p> <p>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>Hundred per cent by direct recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p>	Not applicable.

